

◎所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と
インド共和国政府との間の条約を改正する議定書

(略称) インドとの租税(所得) 条約改正議定書

平成二十七年十二月 十一日 ニューデリーで署名
平成二十八年 五月二十五日 国会承認
平成二十八年 九月二十七日 承認の閣議決定
平成二十八年 九月二十九日 東京で承認を通知する外交上の公文の交換
平成二十八年 九月 三十日 公布及び告示
平成二十八年 十月二十九日 効力発生
(条約第一四号及び外務省告示第三七八号)

目次	ページ
前文	三八九
第一条 条約第十一條3及び4の改正	三八九
第二条 条約第二十六條の改正	三九〇
第三条 条約第二十六條Aの追加	三九二
第四条 効力発生	三九六
末文	三九七

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書

日本国政府及びインド共和国政府は、

二千六年二月二十四日に東京で署名された議定書によって改正された千九百八十九年三月七日にニューデリーで署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約（以下「条約」という。）を改正することを希望して、次のとおり協定した。

第一条

条約第十一條 3 及び 4 を次のように改める。

条約第十一條 3 及び 4 の改正

3 2 の規定にかかわらず、一方の締約国内において生ずる利子であつて、次のいずれかの場合に該当するものについては、他方の締約国においてのみ租税を課することができる。

(a) 当該利子の受益者が、当該他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行又は当該他方の締約国の政府が全面的に所有する金融機関である場合

(b) 当該利子の受益者が当該他方の締約国の居住者であり、かつ、当該他方の締約国の政府、当該他方の締約国の地方政府若しくは地方公共団体、当該他方の締約国の中央銀行若しくは当該他方の締約国の政府が全面的に所有する金融機関によって保証された債権、これらによって保険の引受けが行われた債権又はこれらによる間接融資に係る債権に関して当該利子が支払われる場合

インドとの租税（所得）条約改正議定書

PROTOCOL
AMENDING THE CONVENTION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF JAPAN
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of Japan and the Government of the Republic of India,

Desiring to amend the Convention between the Government of Japan and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, signed at New Delhi on 7th March, 1989, as amended by the Protocol signed at Tokyo on 24th February, 2006 (hereinafter referred to as "the Convention"),

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

Paragraphs 3 and 4 of Article 11 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

"3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be taxable only in the other Contracting State if:

(a) the interest is derived and beneficially owned by the Government of that other Contracting State, a political sub-division or local authority thereof, or the central bank of that other Contracting State or any financial institution wholly owned by that Government; or

(b) the interest is derived and beneficially owned by a resident of that other Contracting State with respect to debt-claims guaranteed, insured or indirectly financed by the Government of that other Contracting State, a political sub-division or local authority thereof, or the central bank of that other Contracting State or any financial institution wholly owned by that Government.

インドとの租税（所得）条約改正議定書

4 3の規定の適用上、「中央銀行」及び「政府が全面的に所有する金融機関」とは、次のものをいう。

- (a) 日本国については、
 - (i) 日本銀行
 - (ii) 株式会社国際協力銀行
 - (iii) 独立行政法人国際協力機構
 - (iv) 独立行政法人日本貿易保険
 - (v) 日本国政府が資本の全部を所有するその他の金融機関で両締約国の政府が随時合意するもの
- (b) インドについては、
 - (i) インド準備銀行
 - (ii) インド輸出入銀行
 - (iii) インド総合保険公社
 - (iv) ニューインディア保険会社
 - (v) インド政府が資本の全部を所有するその他の金融機関で両締約国の政府が随時合意するもの

第二条

条約第二十六条を次のように改める。

条約第二
十六条の
改正

三九〇

4. For the purposes of paragraph 3, the terms "the central bank" and "financial institution wholly owned by that Government" mean:

- (a) in the case of Japan:
 - (i) the Bank of Japan;
 - (ii) the Japan Bank for International Cooperation;
 - (iii) the Japan International Cooperation Agency;
 - (iv) the Nippon Export and Investment Insurance; and
 - (v) such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of Japan as may be agreed upon from time to time between the Governments of the Contracting States;
- (b) in the case of India:
 - (i) Reserve Bank of India;
 - (ii) Export-Import Bank of India;
 - (iii) General Insurance Corporation of India;
 - (iv) New India Assurance Company Limited; and
 - (v) such other financial institution the capital of which is wholly owned by the Government of India as may be agreed upon from time to time between the Governments of the Contracting States."

ARTICLE 2

Article 26 of the Convention shall be deleted and replaced by the following:

第二十六条

1 両締約国の権限のある当局は、この条約の実施又は両締約国若しくはそれらの地方政府若しくは地方公共団体が課する全ての種類の租税に関する両締約国の法令（当該法令に基づく課税がこの条約の規定に反しない場合に限り。）の運用若しくは執行に関連する情報（文書及び文書の認証された謄本を含む。）を交換する。情報の交換は、第一条及び第二条の規定による制限を受けない。

2 1の規定に基づき一方の締約国が受領した情報は、当該一方の締約国がその法令に基づいて入手した情報と同様に秘密として取り扱うものとし、1に規定する租税の賦課若しくは徴収、これらの租税に関する執行若しくは訴追、これらの租税に関する不服申立てについての決定又はこれらの監督に関与する者又は当局（裁判所及び行政機関を含む。）に対してのみ、開示される。これらの者又は当局は、当該情報をそのような目的のためにのみ使用する。これらの者又は当局は、当該情報を公開の法廷における審理又は司法上の決定において開示することができる。この2の第一文から第三文までの規定にかかわらず、一方の締約国が受領した情報は、両締約国の法令に基づき他の目的のために使用することができ、場合において、当該情報を提供した他方の締約国の権限のある当局がそのような使用を許可するとき、他の目的のために使用することができる。

3 1及び2の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、次のことを行う義務を課するものと解してはならない。

- (a) 当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をこること。
- (b) 当該一方の締約国又は他方の締約国の法令の下において又は行政の通常の運営において入手することができない情報を提供する。

Article 26

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that Contracting State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both Contracting States and the competent authority of the supplying Contracting State authorises such use.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

インドとの租税（所得）条約改正議定書

(c) 営業上、事業上、産業上、商業上若しくは職業上の秘密若しくは取引の過程を明らかにするような情報又は公開することが公の秩序に反することになる情報を提供すること。

4 一方の締約国は、他方の締約国がこの条の規定に従って当該一方の締約国に対し情報の提供を要請する場合には、自己の課税目的のために必要でないときであっても、当該情報入手するために必要な手段を用いる。この4の第一文に規定する義務は、3に定める制限に従うが、その制限は、いかなる場合にも、当該情報が自己の課税目的のために必要でないことのみを理由として、一方の締約国が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならない。

5 3の規定は、いかなる場合にも、提供を要請された情報が銀行その他の金融機関、名義人、代理人若しくは受託者が有する情報又はある者の所有に関する情報であることのみを理由として、一方の締約国が情報の提供を拒否することを認めるものと解してはならない。

第三条

条約第二十六条の次に次の一条を加える。

第二十六条のA

1 両締約国は、租税債権の徴収につき相互に支援を行う。この支援は、第一条及び第一二条の規定による制限を受けない。両締約国の権限のある当局は、この条の規定の実施方法を合意によつて定めることができる。

2 この条において、「租税債権」とは、第二二条の規定の対象となる租税及び両締約国又はそれらの地方政府若しくは地方公共団体が課する次の租税（その課税がこの条約又は両締約国が当事国となっている他の取極の規定に反しない場合に限る。）の額並びにこれらの租税の額に関する利子、行政上の金銭罰及び徴収又は保全の費用をいう。

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other Contracting State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

ARTICLE 3

A new Article shall be added after Article 26 of the Convention as follows:

"Article 26 A

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of the taxes covered by Article 2 and the following taxes imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount:

- (a) 日本国においては、
 - (i) 消費税
 - (ii) 相続税
 - (iii) 贈与税
- (b) インドにおいては、
 - (i) 資産税
 - (ii) 物品税
 - (iii) サービス税
 - (iv) 売上税
 - (v) 付加価値税
- (c) その他の租税で両締約国の政府が合意するもの

3 一方の締約国の租税債権が当該一方の締約国の法令に基づき執行することができるものであり、かつ、その徴収における支援の要請の時において当該租税債権を負担する者が当該一方の締約国の法令に基づき当該租税債権の徴収を停止させることができない場合には、当該租税債権は、当該一方の締約国の権限のある当局の要請に基づき、他方の締約国の権限のある当局により、徴収のために引き受けられるものとする。当該租税債権は、この3の規定に基づいて当該他方の締約国が要請することができる条件を満たす当該他方の締約国の租税債権と同様に、当該他方の締約国により、当該他方の締約国の租税の執行及び徴収について適用される当該他方の締約国の法令に従って徴収される。

- (a) in Japan:
 - (i) the consumption tax;
 - (ii) the inheritance tax; and
 - (iii) the gift tax;
- (b) in India:
 - (i) the wealth tax;
 - (ii) the excise duty;
 - (iii) the service tax;
 - (iv) the sales tax; and
 - (v) the value added tax;
- (c) any other tax agreed upon between the Governments of the Contracting States.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other Contracting State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State that met the conditions allowing that other Contracting State to make a request under this paragraph.

4 一方の締約国の租税債権が当該一方の締約国の法令に基づきその徴収を確保するために当該一方の締約国が保全の措置をとることができるものである場合には、当該租税債権は、当該一方の締約国の権限のある当局の要請に基づき、他方の締約国の権限のある当局により、保全の措置のために引き受けられるものとする。当該他方の締約国は、その保全の措置をとる時において当該租税債権が当該一方の締約国において執行することができないものである場合又は当該租税債権を負担する者がその徴収を停止させる権利を有する場合であっても、当該租税債権が当該他方の締約国の租税債権であるとした場合と同様に、当該他方の締約国の法令に従って当該保全の措置をとる。

5 3及び4の規定にかかわらず、3又は4に規定する徴収又は保全の措置のために一方の締約国により引き受けられた租税債権は、当該一方の締約国において、当該一方の締約国の法令の下で租税債権であるとの理由により適用される時効の対象とされず、かつ、その理由により適用される優先権を与えられない。3又は4に規定する徴収又は保全の措置のために当該一方の締約国により引き受けられた租税債権は、当該一方の締約国において、他方の締約国の法令の下で当該租税債権について適用される優先権を有するものでない。

6 5の規定にかかわらず、3又は4に規定する徴収又は保全の措置のために一方の締約国により引き受けられた租税債権の徴収に当たって当該一方の締約国がとった措置は、当該措置が他方の締約国によってとられたならば、当該他方の締約国の法令に従って当該租税債権について適用される時効を停止し、又は中断する効果を有することとなる場合には、当該他方の締約国の法令の下においても同様の効果を有する。当該一方の締約国は、当該措置について当該他方の締約国に通報する。

7 一方の締約国の租税債権の存在、有効性又は額に関する争訟の手続は、他方の締約国の裁判所又は行政機関に提起されない。

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that Contracting State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that Contracting State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other Contracting State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other Contracting State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned Contracting State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that Contracting State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that Contracting State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, acts carried out by a Contracting State in the collection of a revenue claim accepted by that Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4, which, if they were carried out by the other Contracting State, would have the effect of suspending or interrupting the time limits applicable to the revenue claim according to the laws of that other Contracting State, shall have such effect under the laws of that other Contracting State. The first-mentioned Contracting State shall inform the other Contracting State about such acts.

7. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.

8 一方の締約国が3又は4の規定に基づいて要請した後、他方の締約国が関連する租税債権を徴収し、当該一方の締約国に送金するまでの間に、当該租税債権が次の(a)又は(b)の規定に該当しなくなった場合には、当該一方の締約国の権限のある当局は、当該他方の締約国の権限のある当局に対しその事実を速やかに通報し、当該他方の締約国の選択により、当該一方の締約国は、その要請を停止し、又は撤回する。

(a) 3の規定に基づく要請については、当該租税債権が、当該一方の締約国の法令に基づき執行するところとができるものであり、かつ、当該租税債権を負担する者が当該一方の締約国の法令に基づき当該租税債権の徴収を停止させることができないものであること。

(b) 4の規定に基づく要請については、当該租税債権が、当該一方の締約国がその法令に基づきその徴収を確保するために保全の措置をとることができものであること。

9 この条の規定は、いかなる場合にも、一方の締約国に対し、次のことを行う義務を課するものと解してはならない。

(a) 当該一方の締約国又は他方の締約国の法令及び行政上の慣行に抵触する行政上の措置をとること。

(b) 公の秩序に反することとなる措置をとること。

(c) 他方の締約国がその法令又は行政上の慣行に基づき徴収又は保全のために全ての妥当な措置をとっていない場合に支援を行うこと。

8. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned Contracting State, the relevant revenue claim ceases to be

(a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State that is enforceable under the laws of that Contracting State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that Contracting State, prevent its collection, or

(b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned Contracting State in respect of which that Contracting State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection

the competent authority of the first-mentioned Contracting State shall promptly notify the competent authority of the other Contracting State of that fact and, at the option of the other Contracting State, the first-mentioned Contracting State shall either suspend or withdraw its request.

9. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to carry out measures which would be contrary to public policy;

(c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

インドとの租税（所得）条約改正議定書

三九六

- (d) 当該一方の締約国の行政上の負担が他方の締約国が得る利益に比して明らかに不均衡である場合に支援を行うこと。

第四条

- 1 この議定書は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この議定書は、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。

- 2 第一条の規定によって改正される条約第十一条3及び4の規定は、次のものについて適用する。

- (a) 日本国においては、
- (i) 課税年度に基づいて課される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度の租税
- (ii) 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に課される租税
- (b) インドにおいては、
- (i) 源泉徴収される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の四月一日以後に支払われ、又は貸記される額
- (ii) この議定書が効力を生ずる年の翌年の四月一日以後に開始する各課税年度の所得に対する租税

- (d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that Contracting State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State."

ARTICLE 4

1. This Protocol shall be approved in accordance with the legal procedures of each of the Contracting States and shall enter into force on the thirtieth day after the date of exchange of diplomatic notes indicating such approval.

2. The provisions of paragraphs 3 and 4 of Article 11 of the Convention, as amended by Article 1 of this Protocol shall have effect:

(a) in Japan:

- (i) with respect to taxes levied on the basis of a taxable year, for taxes for any taxable years beginning on or after 1st January of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; and
- (ii) with respect to taxes not levied on the basis of a taxable year, for taxes levied on or after 1st January of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; and

(b) in India:

- (i) with respect to taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; and
- (ii) with respect to taxes on income for any previous year beginning on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Protocol enters into force.

3 第二条の規定によって改正される条約第二十六条及び第三条の規定によって加えられる条約第二十六条のAの規定は、これらの規定の対象となる租税が課される日又は当該租税に係る課税年度にかかわらず、この議定書が効力を生ずる日から適用する。

4 この議定書は、条約が有効である限り効力を有する。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。

二千十五年十二月十一日にニューデリーで、ひとしく正文である日本語、ヒンディー語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

日本国政府のために

平松賢司

インド共和国政府のために

ハスムーク・アディア

3. The provisions of Article 26 of the Convention, as amended by Article 2 of this Protocol, and Article 26A of the Convention, as added by Article 3 of the Protocol, shall have effect from the date of entry into force of the Protocol, without regard to the date on which the taxes are levied or the taxable year to which the taxes relate.

4. This Protocol shall remain in effect as long as the Convention remains in force.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

DONE in duplicate at New Delhi this eleventh day of December, 2015, in the Japanese, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretations, the English text shall prevail.

For the Government
of Japan:

K. Hiramatsu

For the Government
of the Republic of India:

Hasmukh Adhia

आय पर करों के संबंध में
दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवचन
को रोकने के लिए जापान की सरकार
तथा भारत गणराज्य की सरकार
के बीच अभिसमय
का संशोधनकारी प्रोटोकॉल।

जापान की सरकार तथा भारत गणराज्य की सरकार,

24 फरवरी, 2006 को टोक्यो में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल (इसके बाद "अभिसमय" कहा गया है)
द्वारा यथा संशोधित 7 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान
के परिहार और वित्तीय अपवचन की रोकथाम के लिए जापान की सरकार और भारत गणराज्य की
सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 तथा 4 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से
प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"3. पैराग्राफ 2 के अनुबंधों में किसी बात के होते हुए, करार करने वाले राष्ट्र में उत्पन्न होने वाला
व्याज दूसरे सविदाकारी राष्ट्र में ही कराधीन होगा यदि:

- (क) व्याज, उस दूसरे सविदाकारी राष्ट्र की सरकार, उसकी राजनीतिक उप-प्रभाय या
स्थानीय प्राधिकरण, या उस दूसरे सविदाकारी राष्ट्र के केन्द्रीय बैंक या पूरी तरह से उस
सरकार की स्वामित्व वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्राप्त और लाभदायक ढंग से
स्वामित्व में है; अथवा

- (ख) व्याज, उस दूसरे सविदाकारी राष्ट्र की सरकार, उसकी किसी राजनीतिक उप-प्रभाय या
स्थानीय प्राधिकरण, उस दूसरे सविदाकारी राष्ट्र के केन्द्रीय बैंक या पूरी तरह से उस
सरकार की स्वामित्व वाली किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रत्याभूत, बीमित या अप्रत्यक्ष रूप

से वित्तपोषित ऋण-दायकों के संबंध में उस दूसरे सविदाकारी राष्ट्र के किसी निवासी द्वारा
प्राप्त और लाभदायक ढंग से स्वामित्व में है।

4. पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्थ, शब्दों, "केन्द्रीय बैंक" और "उस सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली वित्तीय
संस्था" का अर्थयः

(क) जापान के मामले में:

- (i) बैंक ऑफ जापान;
(ii) जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन;
(iii) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी;
(iv) निप्योन एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरंस;
(v) ऐसी अन्य वित्तीय संस्था जिसकी पूंजी सविदाकारी राष्ट्रों की सरकारों के बीच
समय-समय पर सहमति के अनुसार जापान की सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है;

(ख) भारत के मामले में:

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक;
(ii) भारतीय निर्यात-आयात बैंक;
(iii) जनरल इंश्योरंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया;
(iv) न्यू इंडिया इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड;
(v) ऐसी अन्य वित्तीय संस्था जिसकी पूंजी सविदाकारी राष्ट्रों की सरकारों के बीच
समय-समय पर सहमति के अनुसार भारत की सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है।"

अनुच्छेद 2

अभिसमय के अनुच्छेद 26 को हटाया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अनुच्छेद 26

1. सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की
अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उद्देश्यों को अथवा

संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करो के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रामाण्य अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमति: संगत है, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिबद्ध नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस संविदाकारी राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करो के संबंध में करो के निर्धारण, उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपयुक्त की चूक से संबंधित हैं। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, किसी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, यदि ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों संविदाकारी राज्यों तथा ऐसे प्रयोग के लिए प्राधिकृत अपूर्तिकर्ता संविदाकारी राज्य के प्राधिकरणों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;
- (ग) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापार सम्बंधी, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक राज अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती है, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिबद्ध हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे संविदाकारी राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। निखले वाक्य में अलंनिहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि

संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्रमता में कार्यरत नागरिक या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।

अनुच्छेद 3

अभिसमय के अनुच्छेद 26 के बाद निम्नवत रूप से एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाएगा:

"अनुच्छेद 26 क

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के संक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की निधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकेंगे हैं।

2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए अनुच्छेद 2 में शामिल तथा निम्नलिखित करो से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस अभिसमय अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित व्याज, प्रशासनिक अर्थ-देय और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है:

- (क) जापान में:
 - (i) उपभोग कर;
 - (ii) विरासत कर; और
 - (iii) उपहार कर;
- (ख) भारत में:
 - (i) संपत्ति कर;

- (ii) उत्पादशुल्क;
- (iii) सेवा कर;
- (iv) विक्री कर; और
- (v) मूल्य वधित कर.

(vi) कोई अन्य कर जिस पर संविदाकारी राज्यों की सरकारें सहमत हुई हों।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और वह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा छुट अपने करों के प्रवर्तन और वसूली के लिए प्रयोज्य कानूनों के उपबंधों के अनुसार उसी प्रकार वसूल किया जाएगा, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा था जो दूसरे संविदाकारी राज्य को इस पैराग्राफ के तहत एक अनुरोध करने की जर्त को पूरी करता हो।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह संविदाकारी राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा संविदाकारी राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे हों, यहाँ तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस संविदाकारी राज्य में किसी समय सीमा के अन्वयधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।

6. पैराग्राफ 5 के उपबंधों में किसी बात के होते हुए, पैराग्राफ 3 या 4 के प्रयोजनार्थ उस संविदाकारी राष्ट्र द्वारा स्वीकृत किसी राजस्व दावे के संग्रहण में किसी संविदाकारी राष्ट्र द्वारा किए गए कार्य, जो, यदि दूसरे संविदाकारी राष्ट्र द्वारा किए गए थे, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के कानून के अनुसार राजस्व दावे पर लागू समय-सीमा को निर्बंधित या हस्तक्षेप करने का प्रभाव होगा, उस दूसरे संविदाकारी राष्ट्र के कानून के तहत इस प्रकार का प्रभाव होगा। पहला उल्लिखित संविदाकारी राष्ट्र ऐसे कार्यों के बारे में दूसरे संविदाकारी राष्ट्र को सूचित करेगा।

7. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा।

8. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहाँ निमित्तित्व के संबंध में समाप्त हो जाएगा:

(क) पैराग्राफ 3 के तहत अनुरोध के मामले में, प्रथम-वर्णित संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा, जोकि उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में है जोकि उस समय, उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के तहत इसके संग्रहण का निवारण नहीं कर सका या

(ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह संविदाकारी राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है

प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे संविदाकारी राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

9. इस अनुच्छेद के किसी भी उपबंध का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाधशता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति के विपरीत हों;

(ग) महायत्ना प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध बसूती अथवा सरायाण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

(घ) उन मामलों में महायत्ना प्रदान करना जहां उस संविदाकारी राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।”

अनुच्छेद 4

1. यह प्रोटोकॉल प्रत्येक संविदाकारी राष्ट्रों की कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित होगा और इस प्रकार का अनुमोदन दर्शाते हुए राजनयिक नोट्स के आदान-प्रदान की तारीख के बाद तीसवें दिन प्रवृत्त होगा।

2. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1 द्वारा यथा संशोधित अभिसमय के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 3 और 4 के उपबन्धों का निम्नलिखित प्रभाव होगा:

(क) जापान में:

(i) किसी कराधानी वर्ष के आधार पर लगाए गए करों के संबंध में, कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी कराधानी वर्ष हेतु करों के लिए उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, और

(ii) किसी कराधानी वर्ष के आधार पर नहीं लगाए गए करों के संबंध में, कैलेण्डर वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लगाए गए करों के लिए उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, और

(ख) भारत में:

(i) स्रोत पर रोक कर रखे गए करों के संबंध में, कैलेण्डर वर्ष की 1 अप्रैल को या उसके बाद शुभलान या क्रेडिट की गई राशि के लिए उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है, और

(ii) कैलेण्डर वर्ष की 1 अप्रैल को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए आय पर करों के संबंध में उसके बाद अगला वर्ष जिसमें प्रोटोकॉल प्रवृत्त होता है।

3. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 द्वारा यथा संशोधित अभिसमय के अनुच्छेद 26 और प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 द्वारा जोड़े गए अभिसमय के अनुच्छेद 26क के उपबन्ध, उस तारीख, जिस तारीख को कर लगाए गए या

कराधानी वर्ष, जिससे कर संबंधित है, पर ध्यान दिए बिना, प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. यह प्रोटोकॉल तब तक प्रभावी रहेगा जब तक अभिसमय लागू रहता है।

जिसके साक्ष्य में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर, अशोहस्ताक्षरी ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में म्यारह दिसम्बर, 2015 को जापानी, हिन्दी और अंग्रेजी में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिका अर्थ निरूपण में किसी भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

जापान की	भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से	सरकार की ओर से
K. Hiramatsu	Hashmukh Adhia

（参考）

この議定書は、平成元年に発効し、平成十八年に発効した議定書によって改正されたインドとの租税（所得）条約（平成元年二国間条約集及び平成十八年二国間条約集参照）の情報交換に係る規定を国際水準に沿った規定に改正し、新たに徴収共助の規定を導入するとともに、利子免税の対象となる機関を追加・整備することを定めるものである。